न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

वाद(प्रार्थनापत्र) संख्या – 05/2018

प्रविष्टि दिनांक – 1.01.2018

उनवान

बाबूलाल पुत्र बालूराम जाति माली निवासी चिडीकी बाडी, टोंक तहसील व जिला टोंक

–आवेदक/वादी

बनाम

1. श्रीमती पानादेवी पत्नि पप्पूलाल जाति माली निवासी चिडीकी बाडी, टोंक तहसील व जिला टोंक
2. भगवान पुत्र भूरालाल जाति माली निवासी चिडीकी बाडी, टोंक तहसील व जिला टोंक
3. तहसीलदार टोंक

विपक्षी

उपस्थित– श्री राजेन्द्र जाट– वकील वादीगण

निर्णय

वाद बाबत– स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा–92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

दिनांक : 19/01/2021

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 3973 वाके ग्राम कस्बा गर्वी टोंक, तहसील व जिला टोंक (राज0) में स्थित है। जिसमें मुताबिक रिकार्ड आवेदकगण इसके तन्हा मालिक एंव स्वामी खातेदार काबिज काश्तकार है। बहामी बंटवारे में हक व हिस्से में आई हुयी है जिसे वादी मौके पर बहैसियत मालिक स्वामी काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से दूर का भी कोई संबंध नहीं है। किन्तु प्रतिवादीगण लडकू व झगडालू प्रवृति के लोग है। प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजीयात जबरन लट्ठ के बल पर वादी की उक्त आराजी में लेटरीन व बाथरूम निर्माण करना चाहते है तथा भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन करना चाहते है तथा भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन करना चाहते है। जिसका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है।

वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिये दस्तावेजात–जमाबन्दी, नक्शाशीट व रिर्पोट थाना आदि पेश किये।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को तलब किया। प्रतिपक्षीगण न्यायालय में असालतन उपस्थित होकर भी अपना पक्ष नहीं रखा। लगभग दो वर्ष के उपरान्त भी अपना पक्ष नहीं रखने के बाद न्यायहीत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तत्पश्चात वादी ने अपने पक्ष साक्ष्य स्वरूप स्वंय का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादी अपने हक व हिस्से का एक मात्र स्वामी एंव काबिज काश्तकार है जिसके हितों की रक्षा आवश्यक है। प्रतिपक्षीगण को उसमें दखल देने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादी के हक व हिस्से तक वादी का वाद स्वीकार योग्य है तथा भविष्य में अनावश्यक विवाद नहीं होवे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

आदेश

अतः वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा वादी के हक व हिस्से तक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा हमेशा–हमेशा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3973 रकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम टोंक गर्बी, तहसील टोंक में वादी के हक व हिस्से की भूमि में किसी भी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नहीं करें ओर ना ही करावें। उक्त भूमि के किसी भी भू–भाग पर किसी प्रकार से लेटरीन, बाथरूम का निर्माण नहीं करें वादी को उसके हक की भूमि से बैदखल नहीं करें ओर ना ही करावें। हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द रहें।

यह निर्णय आज दिनांक 19/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंक मुकाम टोंक व अहलाम नित्या के0, आई.ए.एस. द्वारा अध्यासित

उनवान

उनवान

बाबूलाल पुत्र बालूराम जाति माली निवासी खिड़की बाड़ी, टोंक तहसील व जिला टोंक

—आवेदक / वादी

बनाम

1. श्रीमती पानादेवी पत्नि पप्पूलाल जाति माली निवासी खिड़की बाड़ी, टोंक तहसील व जिला टोंक
2. भगवान पुत्र भूरालाल जाति माली निवासी खिड़की बाड़ी, टोंक तहसील व जिला टोंक
3. तहसीलदार टोंक

विपक्षी

उपस्थित— श्री राजेन्द्र जाट— वकील वादीगण

निर्णय

वाद बाबत— स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा—92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

दावा नं0 05 / 2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि

अतः वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा वादी के हक व हिस्से तक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या—1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा हमेशा—हमेशा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3973 रकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम टोंक गर्बी, तहसील टोंक में वादी के हक व हिस्से की भूमि में किसी भी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नहीं करें ओर ना ही करावें। उक्त भूमि के किसी भी भू—भाग पर किसी प्रकार से लेटरीन, बाथरूम का निर्माण नहीं करें वादी को उसके हक की भूमि से बेदखल नहीं करें ओर ना ही करावें। हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द रहें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19/01/2021 को जारी किया गया।

मोहर

(नित्या के0)

आई0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मिजान		

नोटः—इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।